न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री सुनील आर्य , आर. ए. एस.

अपील संख्या:– 07/2019 (225 आर. टी. एक्ट)
जीसीएमएस संख्या :– 2019/00039

उनवान

1. शिव सिंह उम्र 65 वर्ष
2. जयसिंह उम्र 45 वर्ष
3. मेघ सिंह उम्र 40 वर्ष
4. किशन सिंह उम्र 35 वर्ष

} पिसरान स्व0 खरगपाल जाति मीनाा निवासी सुनकई तहसील सरमथुरा जिला धौलपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. रामौती पत्नी मॉगीलाल
2. बाबू
3. भवानी सिंह
4. उग्रसेन

} पिसरान स्व0 मॉगीलाल

5. रामाबाई
6. मालाबाई
7. राधा

} पुत्री मॉगीलाल

8. अमरबाई पत्नी भगवानदास
9. विमल
10. भावना
11. अभिषेक

} पिसरान भगवानदास

जाति मीना निवासी सुनकई तहसील सरमथुरा जिला धौलपुर।

12. रवीना पुत्री भगवानदास नाबालिग सरपरस्ती मॉ अमरबाई पत्नी भगवानदास जाति मीना निवासी सुनकई तहसील सरमथुरा जिला धौलपुर।
13. राजस्थान सरकार तामील जरिये तहसीलदार सरमथुरा जिला धौलपुर।

..... रेस्पोंडेंट।

अपील विरूद्ध निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरमथुरा दिनांक 05.02.2019 मि.नं. 03/2018 उनवानी रामौती बनाम शिव सिंह।

अभिभाषकगण :–

1. श्री सुरेश श्रीवास्तव वकील अपीलांट उपस्थित।
2. श्री किशन सिंह त्यागी वकील रैस्पो0 उपस्थित।

भू प्रबंध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

FROM No. III

APP-A

निर्णय

दिनांक–18.02.2025

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरमथुरा के निर्णय दिनांक 05.02.2019 के विरूद्ध पेश की गयी है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी/रैस्पो0 संख्या 01 लगायत 07 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध अप्रार्थी/अपीलाण्ट व शेष रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 480 रकवा 0.3900 है0 वाके ग्राम सुनकई तहसील सरमथुरा के प्रार्थी रैस्पो0 खातेदार काश्तकार हैं। उक्त आराजी में प्रार्थी रैस्पो0 के पशु वाडे हैं। आराजी खसरा नम्बर 484 के अप्रार्थी अपीलाण्ट खातेदार काश्तकार हैं। अप्रार्थी अपीलाण्ट ने अपनी आधी आराजी पर मकान बनाया हुआ है आराजी खसरा नम्बर 484 की पूर्वी मेढ गैर मुमकिन रास्ता से लगी हुयी है। जिससे प्रार्थी रैस्पो0 अपनी आराजी में आवागमन करते हैं। इसके अतिरिक्त कोई ओर मार्ग नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अप्रार्थी अपीलाण्ट के खसरा नम्बर 484 में दक्षिणी मेढ के सहारे 20 फुट का रास्ता दिलाये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से स्वीकार कर लिया। जिससे व्यथित होकर अप्रार्थी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रैस्पो0 एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में तर्क प्रस्तुत किए कि अपीलाधीन आदेश कानून व रिकार्ड के खिलाफ होने के कारण काबिल निरस्तनीय हैं। यह है कि रैस्पो0 अपनी जिस आराजी के लिये रास्ता चाह रहे हैं। उसमें मकान बना हुआ है एवं नियमानुसार मकानो के लिये रास्ता अन्तर्गत धारा 251 ए में नहीं दिया जा सकता है। विवादित आराजी पर कृषि कार्य नहीं हो रहा है। मकानो के लिये रास्ता चाहिये था तो सिविल न्यायालय में जाना चाहिये था। रैस्पो0 ने अपने प्रार्थना पत्र में पूर्व में विद्यमान रास्ता में अतिक्रमण हटाने का अनुतोष चाहा है, जो कि अधीनस्थ न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आता। वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है। परन्तु उक्त तथ्य पर अधीनस्थ न्यायालय ने कोई ध्यान नहीं दिया। अन्य सहखातेदारो द्वारा रास्ता के लिये कोई मॉग नहीं की है। विवादित आराजी पर करीब 20 मकान बने हुये हैं। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

4. रैस्पो0 के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप है। जिसमें हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं रहती है। विवादित आराजी पर पहुॅचने के लिये कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। जब तक आराजी का रूपांतरण नहीं होता तब तक आराजी कृषि भूमि ही मानी जावेगी। अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं नक्शा के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया है।

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

विवादित आराजी में आवासीय मकान नहीं है। केवल पशुवाडा बना हुआ है। हमने तो कृषि भूमि के लिये ही रास्ता की मॉग की है। अन्य सहखातेदारो को रास्ते की जरूरत नहीं है तथा विभाजन में उन्होंनें अन्य आराजी ले रखी है। रैस्पो0 तो पूर्व से विद्यमान मार्ग को चौडा करवाना चाहते हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने समस्त तथ्यों की जॉच उपरान्त अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आरआरटी 2024(1) पेज 474, 2012(2) पेज 1154, 2015(2) पेज 1003, 2010(1) पेज 557, डब्ल्यूएलसी 2007 पेज 399 का उद्धरण प्रस्तुत करते हुये अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। हम पाते हैं कि प्रार्थी रैस्पो0 द्वारा अपने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए में मुख्य अनुतोष पूर्व में विद्यमान रास्ते में से अतिक्रमण हटाने एवं उक्त रास्ते से 20 फुट और रास्ता चाहने का अनुतोष चाहा है। हमने गौर किया। प्रार्थी रैस्पो0 द्वारा चाहा गया उक्त अनुतोष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए के तहत नहीं आता है। इसके अलावा प्रार्थी रैस्पो0 स्वयं अपनी खातेदारी की आराजी पर पशुवाडा आदि बना होना कथन करते हैं। दौराने बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध मौका रिपोर्ट से भी स्पष्ट है कि विवादित आराजी में पूर्व से कई मकानात बने हुये हैं एवं नक्शा में भी रास्ते के दोनों तरफ पक्के मकानात दर्शाये गये हैं एवं कुर्सी भरकर तैयार होना दर्शाया गया है। इसके अलावा प्रार्थी रैस्पो0 द्वारा अन्य सहखातेदारो को प्रकरण में पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया है। अतः प्रार्थना पत्र में आवश्यक पक्षकारो को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाये जाने का भी दोष है। परन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी रैस्पो0 को पूर्व से रास्ते में कुर्सी भरकर तैयार होने के बाबजूद रास्ता दिया गया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है। इस प्रकार पूर्व से विद्यमान मार्ग में अवरोध हटवाने के लिये अधीनस्थ न्यायालय सक्षम नहीं है। अवरोध हटवाने का अधिकार तहसीलदार के क्षेत्राधिकार का प्रश्न है। उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी रैस्पो0 का प्रकरण प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए के अन्दर नहीं आता है। लिहाजा हम अपील अपीलाण्ट स्वीकार योग्य पाते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरमथुरा के निर्णय दिनांक 05.02.2019 अपास्त किये जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस भेजा जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 18.02.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील आर्य)
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर